# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

**पीठासीन अधिकारी: श्री श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस**

अपील संख्या :- 84/2020 8/11/2020

1. कालूराम पुत्र मुरलीधर
2. गिर्राज पुत्र मुरलीधर
3. गोपाल पुत्र मुरलीधर
4. मोहिनी बेवा मुरलीधर

समस्त जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपूरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र नानूलाल
2. गोपाल पुत्र नानूलाल
3. रूपनारायण पुत्र नानूलाल

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. मु. छोटी पत्नी स्व. रामेश्वर
5. कैलाश पुत्र स्व.रामेश्वर
6. ओमप्रकाश पुत्र स्व.रामेश्वर
7. नन्छू पुत्र स्व.रामेश्वर
8. नन्छी उर्फ़ नाना पुत्री स्व.रामेश्वर
9. गुड्डी पुत्री स्व.रामेश्वर

समस्त जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपूरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

10. इन्द्रा पुत्री स्व.रामेश्वर पत्नी हरफूल निवासी ग्राम चक चारणवास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. लल्लूराम पुत्र सूज्या
12. श्रीमती सावित्री बेवा संतोष कुमार

समस्त जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपूरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्द निर्णय डिक्री दिनांक 01/06/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 145/2016 उनवान कल्याण बनाम रामेश्वर अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

अपील संख्या :- 889/2018

1. मु. छोटी पत्नी स्व. रामेश्वर
2. कैलाश पुत्र स्व.रामेश्वर
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व.रामेश्वर
4. नन्छू पुत्र स्व.रामेश्वर
5. नन्छी उर्फ़ नाना पुत्री स्व.रामेश्वर
6. गुड्डी पुत्री स्व.रामेश्वर

समस्त जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपूरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

7. इन्द्रा पुत्री स्व.रामेश्वर पत्नी हरफूल निवासी ग्राम चक चारणवास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. श्रीमती सावित्री बेवा संतोष कुमार जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपूरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र नानूलाल
2. गोपाल पुत्र नानूलाल
3. रूपनारायण पुत्र नानूलाल
   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. लल्लूराम पुत्र सूज्या
5. श्रीमती मोहिनी बेवा मुरलीधर
6. गोपाल पुत्र मुरलीधर
7. कालूराम पुत्र मुरलीधर
8. गिर्राज पुत्र मुरलीधर
   समस्त जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपूरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्द निर्णय डिक्री दिनांक 01/06/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 145/2016 उनवान कल्याण बनाम रामेश्वर अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

## निर्णय

1) प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के मूल निवासी है, काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि में काश्त कर उसकी आय से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 784,486,788 कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा है जिसकी खातेदारी प्रभाती पुत्र काना कौम बागड़ा ब्राह्मण के नाम थी। श्री प्रभात की मृत्यु के पश्चात भूमि विरासत के आधार पर उसके वारिसान बाबूलाल, मोहन, शंकर, गोपाल पुत्र प्रभात व श्रीमती बिदामी धर्मपत्नी प्रभात से अंतरित हुई। उक्त खातेदारान बाबूलाल, मोहन, शंकर, गोपाल पुत्र प्रभात व श्रीमती बिदामी बेवा प्रभात ने अपने कब्जे खातेदारी की उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 786 व 788 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा ग्राम दौलतपुरा को प्रतिफल के बदले दिनांक 09/07/1987 को वादीगण को विक्रय कर दी तथा विक्रय विलेख का पंजीयन उक्त विक्रय विलेख के आधार पर वादीगण के हक़ में उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण नियमानुसार खोला जाकर उसका अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया। इस प्रकार वादीगण भूमि खसरा नम्बर 786 व 788 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा ग्राम दौलतपुरा के खातेदार काश्तकार है, काबिज काश्त है और राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। हाल ही में संवत 2056 में तहसील आमेर की समस्त भूमि का नये सिरे से भू प्रबन्ध कार्यवाही की जाकर नया राजस्व रिकार्ड बनाया गया जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त नये भू-प्रबन्धानुसार वादीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 786 के नये खसरा नम्बर 987,990,974/1430 व खसरा नम्बर 788 के नये खसरा नम्बर 994 कुल किता 5 का रकबा 2.40 हैक्टेयर ग्राम दौलतपुरा कायम कर डाले गये और नया राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया। वादीगण के उक्त भूमि के लगवार ही भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा बारानी अव्वल है। जिसकी खातेदारी आरम्भ में सूज्या पुत्र मांगू कौम खाती, निवासी ग्राम दौलतपुरा कोटडा की थी तथा श्री सूज्या की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जरिये विरासत उसके वारिसान रामेश्वर, लल्लूराम, संतोष कुमार पि. सूज्या हिस्सा ¾ मु. मोहनी वेबा



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मुरलीधर , गोपाल, कालूराम, गिर्राज पि. मुरलीधर हिस्सा ¼ जाति खाती देह खातेदार अंतरित हुई तथा उनके खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 782 का नये भू प्रबन्धानुसार नये खसरा नम्बर 970,971,973 कुल किता 3 का रकबा 3.26 हैक्टेयर कायम किये गये व उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड उक्त प्रतिवादीगण के हक में उपरोक्तानुसारतैयार किया जाकर लागू किया गया | वादीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 786 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 990,974,987/1430 व 987 किता चार का रकबा 2.02 हैक्टेयर है जिसके अनुसार ही वादीगण की उक्त रकबे की भूमि का नक्शा भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा बनाया जाना चाहिये था एवं प्रतिवादीगन के कब्जे खातेदारी में वादीगण की भूमि के लगवार ही भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 970,971,973 कुल किता 3 का रकबा 3.26 हैक्टेसी स्थित ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर का उक्त क्षेत्रफल का नक्शा बनाया जाकर जारी किया जाना चाहिये था लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारियो से दौरान भू-प्रबंध कार्यवाही प्रतिवादीगण से साज कर अपने कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 782 जिसके परिवर्तित खसरा नम्बर 970,971,973 कुल किता 3 का रकबा 3.26 हैक्टेयर से अधिक भूमि का नक्शा उक्त नियत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का तैयार करवा जारी करवा लिया जबकि वादीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 786 जिसके नये भू-प्रबंध अनुसार हाल खसरा नम्बर 990,974,987/1430 व 987 किता चार का रकबा 2.02 हैक्टेयर है जिसके कम क्षेत्रफल का नक्शा तय करवा जारी करवा दिया | इस प्रकार प्रतिवादीगण ने भू-प्रबध अधिकारियो से साज कर वादीगण के कब्जे खातेदारी में स्थित उक्त भूमि के नियत क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल का नक्शा जारी किया गया व वादीगण के रिकार्ड में कम किये गये क्षेत्रफल की भूमि का नक्शा नियत क्षेत्रफल से अधिक का बना कर जारी किया गया है | उक्त कार्यवाही विधि विरुद्द की गई है जिसे वादीगण दुरुस्त करवाये जाने के अधिकारी है | वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरुद्द प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 786 रकबा 8 बीघा जिसके नये भू प्रबन्धानुसार परिवर्तित नम्बर 990 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 974 रकबा 0.60 हैक्टेयर, 987/1430 रकबा 0.01 व 987 रकबा 1.30 हैक्टेयर किता चार का रकबा 2.02 हैक्टेयर ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर का नक्शा उपरोक्त क्षेत्रफल अनुसार दुरुस्त किया जावे व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश पारित किये जावे | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 01/06/2018 के माध्यम से वादी का वाद स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि का नक्शा में गत राजस्व नक्शा ट्रेस के मुताबिक इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश पारित किये | अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की |

2) अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई | वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंकित बहस सुनी गई | दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस तामिल नही करवाये एवं ना ही रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस ही जारी किये तथा बिना सुनवाई का कोई मौका दिये ही एकपक्षीय कार्यवाही अपीलान्ट के विरुद्द अमल में लाई गई | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट के नोटिस भी अपीलान्ट को जारी नही किये गये, बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये ही मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने जिस रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उस रिपोर्ट में साबित नक्शा के विपरीत जाकर नया नक्शा बनाया गया है ऐसा कई भी वर्णित नही है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में मनमाने ढंग से गलत निर्णय पारित किया है जो पत्रावली में मौजूद साक्ष्यो के विपरीत है | इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01/06/2018 ख़ारिज फरमाया जावे | वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर सही निर्णय पारित किया है | तहसीलदार आमेर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णित किया है कि नक्शा शीट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 987,990,974,987/1430 का रकबा जमाबन्दी के रकबे 2.40 हैक्टेयर से क्षेत्रफल निकालने पर कम पढ़ता है | नक्शा शीट के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान का रकबा लगभग 2.18 हैक्टेयर बैठता है | आराजी खसरा नम्बर 971,970 व 973 का रकबा जमाबन्दी



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

में 3.26 हैक्टेयर तथा उक्त खसरा नम्बर का रकबा मुताबिक नक्शा शीट के क्षेत्रफल निकालने पर 3.60 हैक्टेयर लगभग है | तहसीलदार आमेर द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार सही रिपोर्ट पेश की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है | अपीलार्थी ने मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुये अपील प्रस्तुत की है जो ख़ारिज फरमाई जावे |

3) वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया | बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत दुरुस्ती प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दुरुस्ती के आदेश प्रदान किये | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात पाया गया कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 जो दावे में प्रतिवादी संख्या 6 व 7 है, दावा दायरी के समय नाबालिक थे | फ़ीस नही मिलने के कारण इनके कोर्ट गार्जियन ने नाबालिक प्रतिवादी की पैरवी नही की | इस आधार पर नाबालिक प्रतिवादी के विरुद्द अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय की तात्विक भूल है | नाबालिक प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को सम्मन ही जारी नही किया गया है | इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में सम्मन के सबंध में निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है जिससे अपीलान्ट के सुनवाई के अधिकार बाधित हुये है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर क़ानूनी भूल कारित की है | मृत प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर के विरुद्द पारित निर्णय एवं डिक्री प्रभावशून्य है उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर न्यायिक त्रुटी कारित करते हुये गलत निर्णय पारित किया है जिसके सन्दर्भ में दोनों अपीले प्रस्तुत करने में हुई देरी का लाभ अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होने से दोनों अपीले अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ख़ारिज किया जाना न्यायोचित है |

1- अत: दोनों अपीले क्रमशः 811/2018 व 889/2018 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01/06/2018 ख़ारिज किया जाता है | पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद के समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रत्येक वाद बिन्दु को निर्णित करते हुये न्यायसंगत निर्णय पारित करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | बाद दाखिल दफ्तर हो |

2- निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर